



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 954]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2009/आषाढ़ 1, 1931

No. 954]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2009/ASADHA 1, 1931

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 जून, 2009

का.आ. 1525(अ).—जबकि कतिपय विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों के और अधिक प्रभावी निवारण के लिए, आतंकवादी कृत्यों और उनसे जुड़े मामलों से निपटने हेतु विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित किया गया है;

2. और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) में, आतंकवादी संगठन को उक्त अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन अथवा इस प्रकार सूचीबद्ध किसी संगठन के रूप में उसी नाम से सक्रिय संगठनों के रूप में परिभाषित किया गया है;

3. और जबकि उक्त अधिनियम की अनुसूची में आतंकवादी संगठनों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है;

4. और जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-पीपुल्स वार, इसके सभी घटकों तथा प्रमुख संगठनों को ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 24 पर विनिर्दिष्ट किया गया है;

5. और जबकि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एम सी सी) इसके सभी घटकों और प्रमुख संगठनों को ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित उक्त अधिनियम की उक्त अनुसूची की क्रम संख्या 25 पर आतंकवादी संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

6. और जबकि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) तथा माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर तथा इसके सभी घटकों का आपस में विलय हो गया है तथा वर्ष, 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) का गठन हुआ है;

7. और जबकि केन्द्र सरकार यह मानती है कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) आतंकवाद में संलिप्त है ;

8. अतः अब विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) तथा इसके सभी घटकों और प्रमुख संगठनों को उक्त अधिनियम की अनुसूची में आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल करने के बारे में एतद्वारा आदेश करती है और उक्त प्रयोजन से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की अनुसूची में क्रम संख्या 33 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

आतंकवादी संगठन

“34. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) इसके सभी घटक और प्रमुख संगठन।”।

[फा. सं. 1-13014/4/2007-एमएन-III]

डॉ. कश्मीर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**ORDER**

New Delhi, the 22nd June, 2009

S.O. 1525(E).—Whereas the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities dealing with terrorist acts and matters connected therewith;

2. And whereas clause (m) of section 2 of the said Act defines the terrorist organisation to mean an organisation listed in the Schedule or organisations operating under the same name as an organisation so listed;

3. And whereas the Schedule to the said Act specify the list of terrorist organisations;

4. And whereas the Communist Party of India (Marxist-Leninist)-People's War, all its formations and front organisations have been specified at serial number 24 in the Schedule to the said Act and referred to in paragraph 3 above;

5. And whereas the Maoist Communist Centre (MCC), all its formations and front organisations have been specified as a terrorist organisation at serial number 25 to the Schedule to the said Act referred to in paragraph 3 above;

6. And whereas the Communist Party of India (Marxist-Leninist) and the Maoist Communist Centre referred to in the preceding paragraphs and its constitutes have merged together and formed the Communist Party of India (Maoist) in the year 2004;

7. And whereas the Central Government believes that the Communist Party of India (Maoist), referred in the preceding paragraph is involved in terrorism;

8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes an order so as to add that the Communist Party of India (Maoist) and all its formations and front organisations as terrorist organisation in the Schedule to the said Act and makes the following amendments for the said purpose, namely:—

In the Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, after serial number 33 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

TERRORIST ORGANISATIONS

“34. Communist Party of India (Maoist) all its formations and front organisations.”

[F.No. 1-13014/4/2007-MN-III]

Dr. KASHMIR SINGH, Jt. Secy.